झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

सं०सं०:– 04 / छात्रवृत्ति (प्र०नियमावली)–12 / 2017– 2063

प्रेषक,

सी०के० सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा मे,

सभी परियोजना निदशेक, ITDA,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:– 20.6.18

**विषय:– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या– 636, दिनांक– 21.02.2018 द्वारा निर्गत झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के परिशिष्ट–'ख' में उल्लिखित राज्य के बाहर समूह – III एवं IV में अध्ययनरत वैसे छात्र / छात्रायें जिनकी छात्रवृत्ति का नवीकरण शैक्षणिक सत्र 2017–18 में किया जाना था उन्हें पाठ्यक्रम की समाप्ति तक नियमावली के प्रावधानों के तहत छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः वित्तीय वर्ष 2017–18 के उक्त कोटि के छात्र / छात्राओं के लिए DA, DWO एवं AA Level पर ऑनलाईन आवेदन के Verification एवं भुगतान की कार्रवाई हेतु ई–कल्याण पोर्टल पर दिनांक– 16.07.2018 तक के लिए Link उपलब्ध करा दिया गया है।

अनुरोध है कि दिनांक– 16.07.2018 के पूर्व उक्त कोटि के सभी आवेदनों के संबंध में झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली 2018 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

20/6/18

(सी०के० सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।